



CET- 2017

निर्देश

निदेशित किया जाता है कि चयनित छात्रों को नामांकन के लिए काउंसिलिंग के समय निम्नलिखित कागजातों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा :-

1. बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा समकक्ष परीक्षाओं के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों (मैट्रिक से आरंभ करके) सत्यापन हेतु लावें।
2. मैट्रिक से अंतिम शिक्षा तक के अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति की एक कॉपी (स्व अभिप्रमाणित)।
3. शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)
4. निरंतर शिक्षण तथा अनुभव से संबंधी प्रमाण-
क) संस्था प्रधान के द्वारा निर्गत अद्यतन कार्यरत अनुभव प्रमाण पत्र जो प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना द्वारा सत्यापित)।
ख) नियुक्ति पत्र।
ग) योगदान पत्र।
घ) वेतन संबंधी प्रमाण (Bank Statement के साथ अथवा वेतन रजिस्टर का सत्यापित फोटो कॉपी)
ड) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्थाप्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
5. हस्ताक्षरित नामांकन एवं बन्धेज पत्र प्रारूप Annex-II & III डाउनलोड करें।
6. निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विद्यालय प्रधान द्वारा निर्गत शिक्षण अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब संबंधित विद्यालय CBSE, ICSE, BSEB या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से अद्यतन मान्यता प्राप्त हो तथा संबंधित प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित हो।
7. LNMU-Distance Education Fund A/c के नाम Rs. 40,100/- (चालिस हजार एक सौ) रु. का डिमान्ड ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) जो दरभंगा में भुगतये हो।
8. 4 cm x 3 cm का हाल का खींचा हुआ चार रंगीन फोटो।
9. SDO/DM द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित उम्मीदवार की स्थिति में)।
10. CET 2017 प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (Hall Ticket)।

सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग में आने के पूर्व आश्वस्त हो लें कि उपर्युक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात आपके पास हैं तथा NCTE नियमावली 2014 के अनुसार पात्रता प्राप्त हैं, अन्यथा, आपकी उम्मीदवारी पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपका नामांकन किसी अन्य दूरस्थ माध्यम कार्यक्रम में है तो आप न आवें, ऐसी स्थिति में नामांकन हो जाने के बाद कार्यक्रम शुल्क वापिस नहीं होगा।

सभी वर्णित कागजातों के साथ निर्धारित तिथि को यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका दावा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ध्यान रहे कि किसी भी कागजात की कमी रहने पर अवधि विस्तार किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

संयोजक
सी.ई.टी 2017